न्यायालय – मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड (राज.)

क्रमांक – 64 दिनांक 07/10/23

आदेश

इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांकः 62 दिनांक 27.09.2023 के द्वारा दिनांक 08.10.2023 रविवार के राजकीय अवकाश में **श्री दिनेश कुमार शर्मा, प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, झालावाड़** की रिमाण्ड ड्यूटी लगाई गई थी, परन्तु श्री दिनेश कुमार शर्मा को दिनांक 08.10.2023 को कोटा में आयोजित होने वाली द्वितीय वर्कशॉप में उपस्थित होने के एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01, झालावाड़ द्वारा उक्त दिवस को रिमाण्ड ड्यूटी करने हेतु अपनी सहमति प्रदान कर दिये जाने के आधार पर उक्त दिनांक 08.10.2023 को झालावाड़ न्याय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रो के पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा रिमाण्ड अभिवृद्धि व अन्य आवश्यक प्रकृति के कार्य, जिसमें धारा 164 दण्ड प्रकिया संहिता के बयान एवं मृत्युकालिक कथन लेखबद्ध करना व धारा 176 (1क) के तहत मृत्यु समीक्षा जॉच करना शामिल है, को करने के लिए **श्रीमती शिल्पी बंसल, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01, झालावाड़** को अधिकृत किया जाता है। इसके अलावा पूर्व का मूल आदेश यथावत रहेगा।

—Sd—

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
झालावाड।

क्रमांक – 1262 दिनांक 07/10/23

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित हैः–

01– माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, झालावाड़

02– श्री दिनेश कुमार शर्मा, प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, झालावाड़।

03– श्रीमती शिल्पी बंसल, अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01 झालावाड़।

04– श्रीमान् पुलिस अधीक्षक झालावाड को प्रेषित कर लेख है कि झालावाड जिले के समस्त आरक्षी केन्द्रों के थानाधिकारियों को उक्त आदेश से जरिये वितन्तु संदेश सूचित किया जावे ।

05– प्रभारी अधिकारी वायर लैस केन्द्र झालावाड को प्रेषित कर लेख है कि झालावाड़ जिले के समस्त थानाधिकारियों को उक्त आदेश से जरिये वितन्तु संदेश सूचित किया जावे ।

06– आदेश/संबंधित पत्रावली ।

07– सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय को झालावाड न्याय क्षैत्र की Website-jhalawar.dcourts.gov.in पर इस आदेश को अपलोड करने हेतु।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
झालावाड़।